बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 293

जेटली का बजट

अगले सप्ताह मोदी सरकार राजस्व एवं व्यय से जुड़े आंकड़ों का अंतिम लेखा-जोखा संसद में पेश करेगी। उसमें यह बात निश्चित तौर पर नजर आएगी कि अरुण जेटली के वित्तीय कमान संभालने के बाद पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार की वित्तीय स्थिति सुधरी है। यह पिछली सरकार के 2013-14 के दौरान दर्ज आंकड़ों के संदर्भ में है। कर राजस्व में ऐसे समय में 81 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जब सकल घरेलू उत्पाद (महंगाई सहित चालू कीमतों पर) में संभवत: 67 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई होगी। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान में कुछ कमी भी आती है तो भी जीडीपी वृद्धि के मुकाबले कर राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने बेहतर प्रयास किए होंगे। हालांकि गैर-राजस्व वृद्धि के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। पांच साल के दौरान कुल राजस्व में 57 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है, जिनमें उधारी में मात्र 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है। निश्चित तौर पर यह प्रदर्शन सराहनीय है।

व्यय के मोर्चे पर सड़क एवं रेल तंत्रों के लिए सर्वाधिक रकम आवंटित हुई है। आधार वर्ष से तुलना करें तो सड़क तंत्र के लिए आवंटन 150 प्रतिशत अधिक रहा है। दूसरी तरफ रेल ढांचे में भी निवेश तिगुना हो गया है। रेलवे के आवंटन में तेजी का अंदाजा 2013-14 और मौजूदा साल के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पटरी का दोहरीकरण और तिहरीकरण दर 750 किलोमीटर से बढ़कर 18,000 किलोमीटर और अमान परिवर्तन 450 किलोमीटर से बढ़कर 5,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। रेलवे का राजस्व जरूर धीमी रफ्तार से बढ़ा है। विशिष्ट माल गलियारे जैसी प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत नहीं होना मोटे तौर पर इसकी वजह मानी जा सकती है। रेलवे के संचयी राजस्व में 43 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

इन मदों में गई मोटी रकम की भरपाई के लिए सब्सिडी पर खर्च होने वाली रकम नियंत्रित की गई है और पिछले पांच साल के दौरान इसमें 4 प्रतिशत से भी कम इजाफा हुआ है। हालांकि खाद्य सब्सिडी के मद में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 90 प्रतिशत उछला है। उर्वरक पर सब्सिडी में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है और पेट्रोलियम पर सब्सिडी में कमी आई है। ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए अधिक रकम मिली है और आवंटन 33,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर बजट में 55,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऐसी खबरें हैं कि इस मद में अतिरिक्त रकम भी आवंटित की जा सकती है। ज्यादातर बढ़ोतरी पारिश्रमिक की ऊंची दर हो सकती है, लिहाजा यह स्पष्ट नहीं है कि रोजगार के दिन बढ़े हैं या नहीं। केंद्र एवं राज्य के बीच की वित्तीय व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण तुलना करना आसान भी नहीं है। तब भी इतना तो कहा जा सकता है कि विद्यालय शिक्षा के मद में आवंटन स्थिर रहा है, वहीं उच्च शिक्षा के लिए आवंटन में 40 प्रतिशत इजाफा हुआ है। रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन कम किया गया है, खासकर पूंजीगत व्यय मात्र 19 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा है। इसकी तुलना में रक्षा राजस्व व्यय में 48 प्रतिशत इजाफा हुआ है, जबकि पेंशन के मद में होने वाली रकम खासी बढ़ी है और यह अब पूंजीगत व्यय से अधिक हो गई है। एक ओर जब देश की सुरक्षा व्यवस्था कम चुस्त-दुरस्त लग रही है, ऐसे में यह आंकड़ा माथे पर शिकन डालने वाला है। व्यापक परिदृश्य में देखें तो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मद में जाने वाली रकम नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

पिछले साल बजट में हुई बढ़ोतरी का लाभ कृषि मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार, पेयजल, स्वास्थ्य, शहरी विकास एवं आवास, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन आदि विभागों को मिला है। सरकार भारतनेट, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना (गरीबों के लिए आवास), स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, कृषि सिंचाई योजना (फसल बीमा) और नमामि गंगे जैसे कुछ अहम कार्यक्रमों को वरीयता क्रम में ऊपर रख रही है। यह स्पष्ट है कि एक तरफ आवंटन बढ़ेगा तो कहीं न कहीं दूसरे क्षेत्रों को कम रकम से संतोष करना होगा। उदाहरण के तौर पर नागरिक विमानन मंत्रालय के लिए आवंटन कम हुआ है। भौतिक ढांचे पर अधिक जोर के मद्देनजर यही अपेक्षा रही होगी कि कुल व्यय संतुलन पूंजीगत व्यय की तरफ गया होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्सिडी पर खर्च नियंत्रित होने के बावजूद राजस्व (मौजूदा) व्यय पूंजीगत व्यय की रफ्तार से ही बढ़ा है। सरकार पर किसानों को राहत देने का भी दबाव है, बुनियादी आय की व्यवस्था किए जाने की भी चर्चा चल रही है। ऐसे में रुझान पलट सकता है और राजस्व व्यय के तहत अधिक रकम खर्च की जा सकती है।

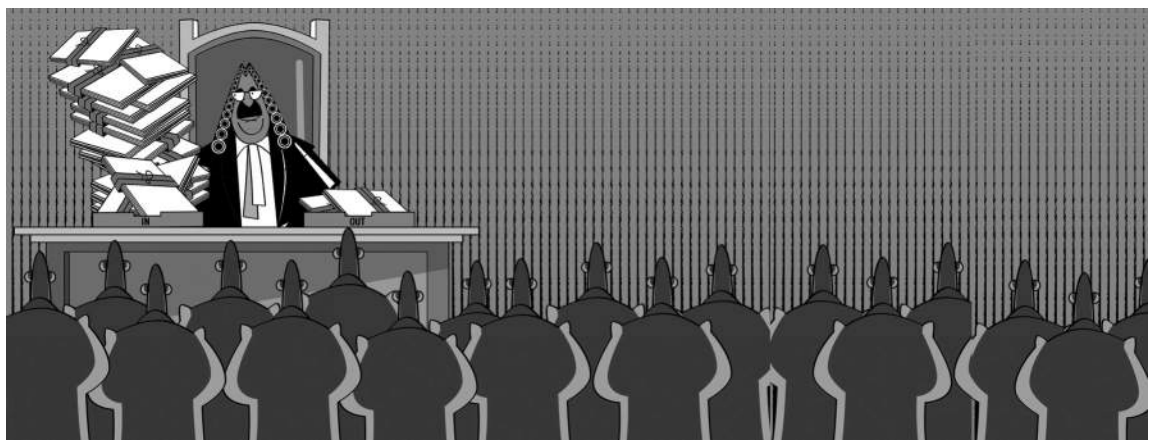

बिनय सिन्हा

भारत का नया दिवालिया कानून कितना कारगर ?

अगर कानून की खामियां दूर नहीं की गईं तो ऋणदाताओं को फंसे ऋणों के समाधान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना होगा। इस बारे में बता रहे हैं **तमाल बंद्योपाध्याय**

एक बड़े बैंक के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) ने अगस्त 2016 में भारत का नया दिवालिया कानून- ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) आने पर बेहद खुशी जताई थी। भारी फंसे कर्जों के तले दबे इस बैंक के सीईओ ने अपने एक साथी से पूछा कि नए कानून के तहत फंसे कर्ज के निपटान में कितने दिन लगेंगे। उस बैंकर का जवाब था- 1,800 दिन। यह अवधि कानून के तहत निर्धारित समय से 10 गुना अधिक थी। निस्संदेह यह निराशाजनक रवैया तारीफ के काबिल नहीं था। अब ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया समाधान प्रक्रिया की प्रगति को देखते हुए सीईओ (अब सेवानिवृत्त) को अपनी राय बदल लेनी चाहिए और अपने साथी को 'भविष्यवक्ता' नाम देना चाहिए। इस कानून से ऋणग्रस्त संपत्तियों के परिसमापन एवं समाधान की लागत और समय घटने की संभावना है।

नए कानून के तहत आईसीआईसीआई बैंक ने एक इस्पात उत्पादक कंपनी के खिलाफ पहला मामला दायर किया था। इस इस्पात कंपनी पर बैंक का 955 करोड़ रुपये का कर्ज था। तब से अब तक कम से कम 10,000 मामले दायर किए जा चुके हैं, लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के केवल 13 पीठ हैं। वित्तीय ऋणदाता और परिचालन ऋणदाता एक लाख रुपये से अधिक के डिफॉल्ट के किसी भी मामले को एनसीएलटी में ले जा सकते हैं।

अपर्याप्त बुनियादी ढांचा उन बहुत से कारणों में से एक है, जिसकी वजह से मामला 180 दिन और कानून द्वारा निर्धारित 270 दिन की सीमा में निपट नहीं पाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कहने पर दिसंबर में बैंकर जिन 28 डिफॉल्टरों के खिलाफ दिवालिया अदालत में गए थे, उन्हें एक साल पूरा हो चुका है। इन मामलों के निपटान को तो भूल जाएं, सभी मामले ही एनसीएलटी ने स्वीकार नहीं किए हैं।

आरबीआई ने जून 2017 में 12 डिफॉल्टरों की सूची बनाई थी। केंद्रीय बैंक चाहता था कि इन 12 डिफॉल्टरों के खिलाफ जल्द से जल्द दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो। इसके बाद अगस्त, 2017 में 28 डिफॉल्टरों की एक अन्य सूची जारी की गई। इन सूचियों में शामिल डिफॉल्टरों की सम्मिलित रूप से भारतीय बैंकिंग प्रणाली के 10 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्जों में करीब 50 फीसदी हिस्सेदारी है।

हाल में एक अदालती सुनवाई के दौरान एक मामले के संबंध में रोचक टिप्पणी की गई। इस मामले में डिफॉल्टर अदालत गया था। डिफॉल्टर ने सवाल किया, 'हम किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड कब देते हैं? सुनियोजित हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए। आम तौर पर भाड़े का हत्यारा महज पैसे के लिए यह काम करता है। अगर उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाता है तो उसके परिवार- उसकी बेगुनाह पत्नी और इस अपराध से अनजान स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ क्या बरताव किया जाता है? क्या हमें उन्हें समाज से बहिष्कृत करना चाहिए या उनके जीवन को पटरी पर लाना चाहिए? क्या किसी कारोबारी असफलता को हत्या से ज्यादा गंभीर माना जाना चाहिए?

इन मामलों की सुनवाई अदालतों में होती रहेगी, लेकिन ऐसी टिप्पणी उस कानून को नया आयाम देती है, जो एक संशोधन के जरिये बैंक डिफॉल्टर से जुड़े लोगों को ऐसी संपत्तियों की बोली लगाने से रोकता है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि कानून को दुरस्त खत्म हो जाती है। उनकी गैर-मौजूदगी में कोई भी बोलीदाता आगे नहीं आता है। हालांकि भारतीय दिवालिया कानून ज्यादातर विकसित देशों की तुलना में ज्यादा जटिल है। लेकिन अमेरिका और कुछ अन्य देशों से इतर यहां कानून में संपत्तियों को सुरक्षित बनाए रखने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है कि जब बैंकर डिफॉल्ट करने वाली किसी इस्पात कंपनी के खिलाफ मामला दायर करते हैं तो फैक्टरी की देखभाल करने के लिए कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं रहने के कारण उसकी मशीनरी गायब हो सकती है।

इसके अलावा समाधान पेशेवर को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। हाल में पुलिस ने उस समाधान पेशेवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो पश्चिम बंगाल में एक कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया को संभाल रहा था। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि सरकारी प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराई थी।

आखिर में यह कोई नहीं जानता कि बिकने वाली संपत्ति की बोली प्रक्रिया कब खत्म होगी क्योंकि बोली हारने वाले भी नए सिरे से बोली लगा सकते हैं और नए बोलीदाता बोली लगाने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। बोली प्रक्रिया बंद करने के बाद नई बोलियों को मंजूरी देने से कीमत तय करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे असामान्य देरी होती है और प्रक्रिया की शुचिता खत्म होती है। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका जल्द समाधान के बजाय ज्यादा से ज्यादा कीमत के पक्ष में है।

एक से अधिक संपत्तियों का कोई भी सफल बोलीदाता मेज पर पैसे डालने में सफल नहीं रहा है। हाल में 'भविष्यवक्ता' ने मुझे बताया था कि दिवालिया संहिता डीआरटी (कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों) से थोड़ी ही बेहतर है। डीआरटी की स्थापना बैंक और वित्तीय संस्थान बकाया कर्ज वसूली अधिनियम (आरडीबीबीएफआई) 1993 लागू होने के बाद हुई थी। यह अधिनियम फंसे कर्जों के विवादों को सुलझाने में बुरी तरह नाकाम रहा। देश भर के तीन दर्जन से अधिक डीआरटी में करीब एक लाख मामले लंबित हैं।

विश्व बैंक के एक अनुमान में कहा गया है कि पुराने कानून के तहत दिवालिया मामले के समाधान में औसतन 4.3 वर्ष लगते थे और वसूली प्रत्येक डॉलर में 25.7 सेंट थी। किसी डिफॉल्टर को डीआरटी में घसीटने का पहला उदाहरण मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड है। यह मामला इस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण है कि ऋणदाता कितने असहाय हैं। आईबीसी डिफॉल्टरों को डराने और बातचीत की मेज पर लाने के सबसे अच्छे औजार के रूप में उभर रही है। जब तक आईबीसी कानून की खामियां दूर नहीं होंगी और डिफॉल्टरों के लिए सामान्य कानूनी रास्ता बंद नहीं होगा, तब तक ऋणदाताओं को मामले के समाधान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना होगा। निस्संदेह अगर डिफॉल्टरों को अदालतों में जाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी तो आईबीसी को कठोर कानून करार दिए जाए जाने का जोखिम है।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक और जन स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ परामर्शदाता एवं लेखक हैं)

प्रियंका की सक्रियता से बनेंगे नए समीकरण

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर किसी को 'भैया' कहा जाता है, भले ही आप परिवार के बच्चे हैं या सबसे बड़े। लेकिन भैया हमेशा पुरुष ही होते हैं। इसलिए यह अचंभित करने वाली बात है कि प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली के लोग भैयाजी क्यों कहते हैं।

इसकी वजह यह है। जब राहुल और प्रियंका बच्चे थे और अपनी दादी इंदिरा या पिता राजीव के साथ इन निर्वाचन क्षेत्रों में जाते थे, तब दोनों के बहुत छोटे बाल थे। इतना ही नहीं, इन निर्वाचन क्षेत्रों के ज्यादातर लोग लंबे समय तक प्रियंका को लड़का ही समझते थे। इस वजह से उनका 'भैयाजी' नाम अब भी बरकरार है, जबकि वह दो बच्चों की मां हैं।

वह अपनी दादी की तरह दिखती हैं, लेकिन क्या वह उनकी तरह हैं? इंदिरा गांधी हमेशा उन लोगों की परवाह करती थीं, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। भले ही वे लोग चुनाव जीते हों या हारे हों (इंदिरा गांधी के साथ संबंधों के बारे में प्रणव मुखर्जी के बयान पर गौर करें) और उन्हें कभी नहीं भूले।

प्रियंका यह नहीं मानती हैं कि वह निष्ठुर हैं या बदले की भावना रखती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने दोस्तों से कहा है, 'क्या आप यह मानते हैं कि मैं अपनी दादी की तरह हूं? तब तक इंतजार करो, जब तक आपका राहुल से वास्ता नहीं पड़ता।' यह काफी हद तक सही है। प्रियंका क्षमा में भरोसा रखती हैं। इसी वजह से उन्होंने तमिलनाडु की उस जेल का दौरा किया था, जहां उनके पिता की हत्या की दोषी नलिनी कैद थी। उन्होंने कहा कि वह यह जानना चाहती थी कि उनके पिता को क्यों मारा गया। वर्ष 1999 के चुनावों में जब अरुण नेहरू ने रायबरेली से चुनाव लड़ा तो उन्होंने मतदाताओं से एक यादगार सवाल किया था, 'जिस व्यक्ति ने मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपा, आपने ऐसे व्यक्ति को रायबरेली में घुसने भी कैसे दिया?' माना जाता है कि बोफोर्स घोटाले में अरुण नेहरू का हाथ था। अरुण नेहरू ने वीपी सिंह की अगुआई वाले जनता दल और बाद में भाजपा में शामिल होने के लिए राजीव गांधी का साथ छोड़ दिया था।

इसके बावजूद जब अरुण नेहरू मरणासन्न थे तो वही प्रियंका गांधी परिवार के साथ थीं। जब 2013 में अरुण नेहरू की मृत्यु हुई तो प्रियंका ने ही उनके अंतिम संस्कार का काम संभाला। नेहरू-गांधी परिवार के पोते रेहान ने अरुण नेहरू की चिता को मुखाग्नि दी। उनके लिए परिवार बहुत मायने रखता है। जब प्रियंका अपनी बेटी मारिया के घुटने के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई थीं तो अपनी चचेरी बहन और अरुण नेहरू की बेटी राधिका के पास ठहरी थीं।

वह वेल्हम गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हैं और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब वह वहीं थीं। तब से वह अपने परिवार और बच्चों का सामान्य जीवन के लिए कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके सक्रिय राजनीति से जुड़ने को लेकर कभी कोई सवाल नहीं था, लेकिन वह अपने बच्चों के बड़े होने तक राजनीति में नहीं आईं। अब उनके दोनों बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और यह माना जा रहा है कि वे अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं।

लेकिन यह नहीं कहा जाना चाहिए कि वह राजनीति में सक्रिय नहीं थीं। नवजोत सिंह सिद्धू खुले तौर पर कहते हैं कि प्रियंका ही उन्हें राजनीति में लेकर आईं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी इसका समर्थन किया है, जो खुद पर सिद्धू को थोपे जाने से खुश नहीं थे। अमरिंदर सिंह भी कहते हैं कि दिग्गज हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह को कांग्रेस में प्रियंका ही लेकर आई थीं। प्रियंका ही वह शख्स थीं, जिन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश एवं डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन करने के लिए राजी किया था। राहुल गांधी के खेमे के बहुत से लोग यह मानते हैं कि ऐसा करना जीत के जबड़ों से हार को छीनने के समान था। उनका कहना है कि राहुल और कांग्रेस ने जब उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना शुरू किया, तभी वे गठबंधन में उलझ गए। इसके बाद फिर स्थितियां ठीक हुई हैं। यह प्रियंका ही थीं, जिन्होंने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने के मौके पर बैठने, लॉजिस्टिक और अन्य व्यवस्थाएं कीं।

पिछले एक महीने के दौरान कांग्रेस की कार्यप्रणाली में बहुत से उतार-चढ़ाव आए हैं। जो लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि युवाओं को पदोन्नत किया जाएगा और बुजुर्ग नेताओं को सेवानिवृत्त किया जाएगा, वे निराश हुए हैं। कमलनाथ और अशोक गहलोत ने वापसी की है और असुरक्षा की भावनाओं को खत्म किया गया है। अब प्रियंका के रूप में एक अन्य बड़ा बदलाव किया गया है। आगे रॉबर्ट वाड्रा भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने कभी अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को नहीं छिपाया है। वाड्रा ने ट्विटर पर बधाई देकर प्रियंका पर हक जताने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। (आप अपने आप से सवाल करें कि अगर आपका मकसद खुद की तरफ लोगों का ध्यान खींचना नहीं है तो क्या आप अपनी पत्नी को उसकी पदोन्नति पर ट्विटर के जरिये बधाई देंगे।)

हालांकि औसत कांग्रेसी प्रियंका के प्रति वफादार है और उनसे प्रभावित हो सकता है, लेकिन बहुत से कांग्रेसी उनके सक्रिय राजनीति में प्रवेश के बचाव को लेकर थोड़े अनिच्छुक होंगे। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वाड्रा के गृह नगर और प्रियंका के ससुराल मुरादाबाद से राहुल गांधी चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। इस दौरान मंच पर प्रियंका के भी मौजूद रहने के आसार हैं। आगामी सप्ताह और महीने बहुत रोचक होंगे क्योंकि उनमें नए समीकरण बनेंगे।

कानाफूसी

जैसे को तैसा

ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने का निर्णय कर लिया है। पिछले दिनों यह आरोप लगा था कि भाजपा कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ संपर्क कर रही है ताकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराई जा सके। इसके प्रत्युत्तर में कमलनाथ ने कहा है कि यह खेल एकतरफा नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर भाजपा टेनिस खेलेगी तो कांग्रेस भी टेबल टेनिस नहीं खेलेगी। उन्होंने कहा कि कम से कम पांच-छह भाजपा विधायक उनके संपर्क में हैं। इन विधायकों को भाजपा में अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है और वे कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। इससे पूर्व दो कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि भाजपा से उन्हें कांग्रेस सरकार गिराने के लिए 100-100 करोड़

मुश्किलों का सिलसिला

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर पार्टी के लिए लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वह एक के बाद एक ऐसे बयान देते आ रहे हैं जो पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक नया शिगूफा छेड़ा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनसे संपर्क किया है और आगामी लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट से कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने का प्रस्ताव रखा है। गौर के मुताबिक उन्होंने इस पर विचार करने की बात कही है। अभी कुछ ही महीने पहले प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान गौर ने पार्टी को उस वक्त दिक्कत में डाल दिया था जब विधानसभा चुनाव का टिकट काटे जाने पर वह बगावत पर उतर आए थे। उनका गुस्सा तब शांत हुआ था जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे मुलाकात की और उनकी पारंपरिक गोविंदपुरा विधानसभा सीट से उनकी बहू कृष्णा गौर को प्रत्याशी बनाने पर सहमति जताई। गौर उस चुनाव में अच्छे खासे अंतर से जीतने में कामयाब रहीं।

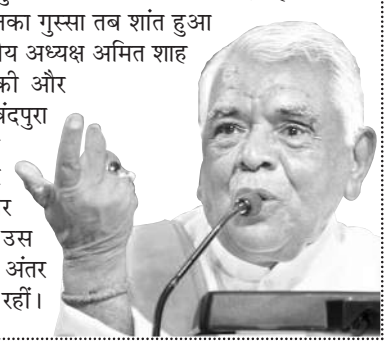

आपका पक्ष

सामान्य वर्ग आरक्षण और रिक्तियां

केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। इससे संबंधित विधेयक संसद के दोनों सदन में पारित हो गया है और राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इससे अब सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा एवं नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगेगा। सरकार के मुताबिक यह आरक्षण 1 फरवरी के बाद से अधिसूचित होने वाली सभी सरकारी नौकरियों पर लागू होगी। अभी हाल में रेलवे में करीब सवा लाख रिक्तियों की घोषणा की गई है। इन रिक्तियों में सामान्य वर्ग के गरीबों को भी मौका मिल सकेगा। देश में आरक्षण राजनीति का एक बड़ा हथियार रहा है। हर राजनीतिक दल इसे अपने लाभ के लिए

केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है

भुनाना चाहता है। हालांकि समान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद भी मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण (अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग) बरकरार रहेगा। सरकार को समाज के निचले तबके के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण के अलावा अन्य उपाय भी करने चाहिए। सिर्फ आरक्षण देकर सरकारी नौकरी पा लेने से कोई व्यक्ति मुख्यधारा में आ जाए, ऐसा काफी कम ही देखने को मिलता है। सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार को सामाजिक अवधारणा में बदलाव लाने की जरूरत है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

बढ़ती जनसंख्या और चुनौतियां

भारत की जनसंख्या काफी अधिक है। इस हिसाब से कारोबार बढ़ती जनसंख्या के कारण और बढ़ेगा। गरीबी दूर करने के लिए कारोबार का बढ़ना निश्चित है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी कंपनियों के आईपीओ काफी आए हैं। भारत कृषि प्रधान देश है लेकिन किसान अशिक्षा के कारण कृषि में नुकसान उठाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक करोड़ लोगों को रोजगार दिया है जो काफी नहीं है। गरीब जनता के हिसाब से 50 प्रतिशत गरीब लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखना चाहिए। मुद्रास्फीति भी काबू में रही है। राजकोषीय घाटा भी करीब-करीब नियंत्रण में है। घोटालों से अरबों रुपये का नुकसान हुआ जिससे मुद्रा कम हो गई। घोटाले के कारण बैंकों को काफी नुकसान हुआ है। देश में उद्योगों में घोटाले के प्रयास हो रहे हैं। मोबाइल व्यापार काफी फलफूल रहा है। रेलवे देश का सबसे बड़ा यातायात का साधन है लेकिन वह घाटे में चल रहा है। सड़क यातायात भी बढ़ा है और दोपहिया तथा चारपहिया वाहनों की खूब बिक्री हुई है। गरीबों को 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज मिला है।

राकेश जैन, सतना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।